

आदेश


अनुकंपा के आधार पर बाल सिपाही से सिपाही/साक्षर सिपाही(प्रचालक) के पद पर नियुक्ति हेतु विभिन्न जिला/इकाई/ वाहिनी से प्राप्त प्रस्ताव पर विचार करने हेतु दिनांक-03.01.2020 को विभागीय मार्जन समिति की बैठक आयोजित की गई। उक्त बैठक में मार्जन समिति द्वारा लिये गये निर्णय के आलोक में कतिपय प्रस्तावों को लंबित/अस्वीकृत/मार्जन की आवश्यकता नहीं रहने के कारण वापस किया जाता है, जो निम्नवत् है :-

क्र० सं०	सेवामुक्त बाल सिपाही का नाम/मृतक से संबंध/कोटि	मृत सरकारी सेवक का नाम/पदनाम/अंतिम पदस्थापन/मृत्यु की तिथि/कारण	प्रस्तावित पद का नाम	मार्जन की आवश्यकता	आवंटित जिला/इकाई/वाहिनी	समिति की अनुशंसा
1	2	3	4	5	6	7
1	पंकज कुमार /पुत्र/ अनु०जाति	स्व० चन्द्रेश्वर राम/ स०अ०नि०/ मधेपुरा जिलाबल (आवेदक जहानाबाद में बाल सिपाही के पद नियुक्त था)	सिपाही	ऊँचाई-2 से०मी०	जहानाबाद	अनुशंसित
2	सानी कुमारी /पुत्री/ एस०सी०	स्व० बालेश्वर मांझी /सि०-319/ पटना जिला बल/	सिपाही	ऊँचाई में 10 से०मी०	-	लंबित (आवेदिका का विहित प्रपत्र सीतामढ़ी से प्राप्त हुआ किन्तु उसपर बाल सिपाही के पद पर नियुक्ति के समय ही आवेदिका का फोटो नहीं चिपकाया गया है। इस मामले को समीक्षा हेतु संचिका के माध्यम से उपस्थापित करने का निर्णय)
3	आर्दश शिवम /पुत्र/ अना०	स्व० पवन कुमार पाण्डेय/सि०/विशेष शाखा/27.12.11/ लीवर में खराबी (आवेदक वितंतु में बाल सिपाही के पद पर नियुक्त था।	साक्षर सिपाही (प्रचालक)	-	वितंतु	आवेदक को मार्जन की आवश्यकता नहीं है इस कारण प्रस्ताव वापस करने का निर्णय
4	दीपक कुमार /पुत्र/ एस०सी०	स्व० दुखा दास/ अ०नि०/पटना जिला बल/ 10.12.13/पेट में दर्द	सिपाही	सीना-5.5 से०मी०	-	लंबित (चरित्र प्रमाण पत्र अप्राप्त)



5	अतीश कुमार सिंह / पुत्र	स्व0 जर्नादिन सिंह / पु0अ0नि0 / खगड़िया जिला बल (आवेदक वैशाली में सिपाही के पद पर नियुक्त था)	सिपाही	-	वैशाली	आवेदक को मार्जन की आवश्यकता नहीं है इस कारण प्रस्ताव वापस करने का निर्णय
---	-------------------------	---	--------	---	--------	--

पुलिस महानिदेशक, बिहार के आदेशानुसार,



पुलिस महानिरीक्षक के सहायक (कल्याण),
बिहार, पटना

ज्ञापांक.....32...../पी04


43-38-13-2013

पुलिस महानिदेशक का कार्यालय, बिहार, पटना

पटना, दिनांक:- 04.02.2020

प्रतिलिपि :-

1. सभी संबंधित पुलिस उप-महानिरीक्षक बिहार को कृपया सूचनार्थ प्रेषित।
2. वरीय पुलिस अधीक्षक, पटना / पुलिस अधीक्षक, जहानाबाद / वैशाली / वितंतु को सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ प्रेषित।
3. - जिन आवेदकों के प्रस्ताव में त्रुटियाँ पायी गयी है अथवा आवश्यक कागजात संलग्न नहीं है, से संबंधित पदाधिकारियों से अनुरोध है कि संबंधित आवेदकों से वांछित कागजात प्राप्त कर त्रुटि का निराकरण करते हुए वांछित कागजात 01 सप्ताह के अन्दर निश्चित रूप से पुलिस मुख्यालय को उपलब्ध कराया जाय।
4. ✓ आई0टी0मैनेजर, पुलिस मुख्यालय, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ प्रेषित।



पुलिस महानिरीक्षक के सहायक (कल्याण)
बिहार, पटना